

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

08 दिसम्बर, 2025 ई0

संख्या—350938 / VIII-1/25-53(श्रम)/2025—श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 2017 की धारा 6 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत समस्त दुकानों/प्रतिष्ठानों में महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रत्येक महिला कर्मकार से रात्रि पाली में कार्य के संबंध में उसकी सहमति प्राप्त की जाएगी। यदि कोई महिला कर्मकार रात्रि पाली में कार्य करने से असहमति व्यक्त करती है तो, उसका नियोजक द्वारा किसी प्रकार से प्रपीडन नहीं किया जायेगा।
- (2) महिला कर्मकारों की नियुक्ति एवं रोजगार से संबंधित कार्यवाही प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के संरक्षण एवं कल्याणकारी प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
- (3) नियोजक द्वारा महिला कर्मकारों से कार्य कराये जाने की सूचना संबंधित श्रम अधिकारी व थाना प्रभारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (4) महिला कर्मकारों हेतु उनके निवास स्थान तक पिक-अप एवं ड्राप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये पैनिक बटन (इमरजेंसी अलार्म) एवं जी0पी0एस0 आधारित (G.P.S enabled) पर्याप्त परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा वाहन एवं कार्यस्थल पर पुलिस हैल्पलाईन नम्बर, पुलिस थाना/पुलिस चौकी के नम्बर दृश्य स्थान पर चस्पा किये जायेंगे।
- (5) नियोजक द्वारा परिवहन चालक एवं परिचालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।
- (6) नियोजक द्वारा महिला कर्मकारों के लिये सुरक्षित, संरक्षित एवं स्वस्थ कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित की जायेंगी, ताकि उन्हें रोजगार से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा या हानि न हो।
- (7) नियोजक द्वारा महिला कर्मकारों हेतु शौचालय, चेंजिंग रूम, पेयजल आदि सुविधायें अधिनियम की सुसंगत धाराओं के प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
- (8) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (The Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) के सभी लागू प्राविधानों का नियोजक द्वारा पूर्णतः अनुपालन कराया जायेगा।
- (9) दुकान और स्थापन के प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार तथा उन सभी कार्यस्थलों पर जहां महिला कर्मकार कार्यरत हैं, या होंगी सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित एवं सुचारु रूप से संचालित किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डॉ० श्रीधर बाबू अददांकी,

सचिव।

(2)

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the **Constitution of India**, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No. 350938 VIII-1/25-53 (Labour)/2025, Dated- December 08, 2025 for general information.

NOTIFICATION

December 08, 2025

No. 350938 VIII-1/25-53 (Labour)/2025--In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6, of the Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017, the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in the official gazette, women employees working in all shops/establishments in the State of Uttarakhand to work during night shift 09:00 PM to 06:00 AM subject to the following conditions:

1. Consent will be obtained from every women employee for working in the night shift. If any women employee expresses disagreement with working in the night shift, she shall not be coerced in any manner by her employer for the same.
2. Proceeding regarding appointment and employment of Women employees shall be done in accordance with the protective and welfare provisions of the Maternity Benefit Act, 1961.
3. Information regarding the employment of women employee by the employer shall be provided to the concerned labour officer and the police station in charge.
4. Panic button (emergency alarm) and GPS enabled adequate transportation system shall be ensured to provide pick-up and drop-off facilities for women employee up to their place of residence. Police helpline numbers and the police station/police sub station numbers will be displayed prominently on vehicles and at workplaces.
5. Police verification of transport drivers and conductors will be mandatorily carried out by the employer.
6. The employer shall ensure safe, secure, and healthy working conditions shall be ensured for women employee so that they do not face any detriment/disadvantage related to their employment at the work place.
7. Facilities such as toilets, changing room, drinking water, etc., shall be provided for women employee in accordance with the relevant provisions of the Act.
8. The employer shall fully comply with all applicable provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
9. CCTV cameras shall be installed and operated properly at every entry and exit gate of the shops and establishment, as well as at all workplaces where women employee are employed or will be employed.

By Order,

DR. SHRIDHAR BABU ADDANKI,

Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 03-01-2026, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 श्रम/43-13-02-2026-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)